

अध्याय III : उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

3.1 निष्फल व्यय

राज्यों में भार एवं माप अवसंरचना के सुदृढीकरण के दृष्टिकोण से, उपभोक्ता मामले विभाग ने विभिन्न राज्यों को धर्मकांटों की जांच करने के लिए मोबाईल वैन किटों (मो.वै.कि.) की आपूर्ति की। तथापि, विभाग ने मो.वै.कि. के प्रापण से पहले राज्यों में उनके संभावित उपयोग का निर्धारण करने हेतु कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, 2007 से 2010 के दौरान 12 राज्यों में, ₹12.87 करोड़ की कीमत की 22 मो.वै.कि. की आपूर्ति की गई थी जो जनवरी 2015 तक उपयोग में नहीं थी।

राज्यों/सं.शा.क्षे. की भार एवं माप अवसंरचना को सुदृढ करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग (विभाग), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों तथा सं.शा.क्षे. को धर्मकांटों¹ की जांच/सत्यापन हेतु 34 मोबाईल वैन किटों (मो.वै.कि.) की आपूर्ति करने का निर्णय (अगस्त 2005) लिया।

विभाग ने अगस्त 2007 में ₹52.82 लाख से ₹78.83 लाख प्रति इकाई की लागत पर महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (म.नि.आ.नि.) के साथ 34 मो.वै.कि. की आपूर्ति हेतु निविदा स्वीकृति (नि.स्वी.) प्रस्तुत की। अतिरिक्त 7 मो.वै.कि. का आपूर्ति आदेश सितंबर 2008 में दिया गया था। विभाग ने लाभार्थी राज्यों/सं.शा.क्षे. को दिसंबर 2007 तथा फरवरी 2009 के बीच मो.वै.कि. (उच्च क्षमता) की आपूर्ति की थी।

¹ एक प्लेटफार्म पैमाना जो सड़क के बराबर लगा होता है तथा इसका ट्रकों, पशुधन आदि का भार करने हेतु उपयोग किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने प्रापण प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व कोई आवश्यकता निर्धारण नहीं किया था। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा 2007 तथा 2014 के बीच 12 राज्यों² को आपूर्ति की गई ₹12.87 करोड़ की कीमत की 22 मो.वै.कि. जनवरी 2015 तक व्यर्थ पड़ी हुई थीं (ब्यौरे अनुबंध-IV में)। मो.वै.कि. के गैर-उपयोग का कारण मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र का वाहनों के लिए अनुकूल न होना, सड़को का संकीर्ण होना, तकनीकी स्टाफ की अनुपलब्धता तथा मरम्मतों की आवश्यकता थी। बाद में, पांच राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मेघालय तथा उत्तराखण्ड ने बड़े आकार की मो.वै.कि. को छोटी मो.वै.कि. से बदलने के लिए विभाग से अनुरोध किया (अक्टूबर 2009 से अगस्त 2010)। तदनुसार, विभाग द्वारा ₹19.29 करोड़ की लागत पर 31 छोटे आकार की मो.वै.कि. की खरीद (2009) की तथा राज्यों को आपूर्ति की थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि राज्यों के पास व्यर्थ पड़ी बड़ी मो.वै.कि. का अन्य क्षेत्रों, जहां इनका उपयोग किया जा सकता था, के स्थानांतरण हेतु नवम्बर 2010 में निर्णय लिया गया था। तथापि, विभाग ने इसके पश्चात मामले का अनुसरण नहीं किया था जो मो.वै.कि. के निरंतर व्यर्थता का कारण बना।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आठ राज्यों, जिनको बड़े आकार की मो.वै.कि. की आपूर्ति की गई थी, के अधिकार में पहले से ही 8927 धर्मकांटे थे फिर भी उच्च क्षमता की मशीनों के गैर-उपयोग के कारण इनकी जांच निम्न क्षमता की मशीनों से की जा रही थी। इसलिए लेखापरीक्षा इन राज्यों में धर्मकांटों की जांच के वर्तमान प्रबंधन की पर्याप्तता के संबंध में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक राज्य में 5266 धर्मकांटों की जांच के कार्य को प्रारम्भ नहीं किया जा सका था।

² बारह राज्य गोवा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल तथा कर्नाटक हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्टूबर तथा दिसंबर 2014) कि धर्मकांटों की जांच हेतु बड़े आकार की मो.वै.कि. का प्रापण देश में पहली बार एक प्रायोगिक परियोजना थी। विभाग ने यह भी बताया कि राज्यों को मो.वै.कि. के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया था।

विभाग ने आगे बताया (जनवरी 2015) कि राज्यों को मो.वै.कि. की आपूर्ति का निर्णय उनको उपकरण प्रदान करना था जो धर्मकांटों के सत्यापन हेतु प्रारंभिक आधार था तथा इसलिए ऐसी आपूर्ति पूरक या अनुपूरक नहीं थी तथा इसलिए, उनकी आवश्यकता का निर्धारण करने हेतु किसी व्यवहार्यता अध्ययन प्रमाणित नहीं था। उसने यह भी बताया कि राज्यों द्वारा आरोपित संकीर्ण सड़कों, पहाड़ी क्षेत्र तथा कार्मिक के प्रशिक्षण का मामला उचित नहीं था तथा कुछ राज्यों के प्रवर्तन अधिकारियों के दृष्टिकोण का परिणाम था।

उत्तर सुनिश्चित करता है कि आपूर्तियां संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श द्वारा आवश्यकता को स्थापित किए बिना की गई थीं। इसके अतिरिक्त, मो.वै.कि. के गैर-उपयोग के कथित कारण राज्यों के उपभोक्ता विभागों द्वारा सूचित किए गए थे तथा विभाग द्वारा इसे एक बहाने के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। तथ्य है कि मो.वै.कि. की आपूर्ति हेतु विभाग का निर्णय प्रस्तावित परियोजना के उपयुक्त विश्लेषण तथा मूल्यांकन पर आधारित नहीं था जो ₹12.87 करोड़ की कीमत के मोबाइल वैन किटों के व्यर्थ होने का कारण बना।

3.2 खराब आंतरिक नियंत्रण, निधियों के अधिक निर्गम के गैर-समायोजन का कारण बना

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जरूरतमंद राज्यों को खाद्य अनाजों की आपूर्ति हेतु 'ग्राम अनाज बैंक योजना' के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) को निधियां जारी की गई थीं। निगम को निधियां खाद्य अनाज की उस समय की आर्थिक लागत के आधार पर जारी की गई थीं बाद में निर्धारित वास्तविक लागत से अधिक पाया गया था, जो भा.खा.नि. को ₹1.75 करोड़ की निधियों के अधिक निर्गम का कारण बनी। मंत्रालय ने केवल लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात ही आधिक्य राशि के समायोजन की कार्रवाई प्रारम्भ की।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राज्य सरकारों द्वारा लम्बे समय से खाद्य अभाव वाले क्षेत्रों के रूप में चयनित ग्रामों में 'ग्राम अनाज बैंक योजना'³ (ग्रा.अ.बैं. योजना) को कार्यान्वित (नवम्बर 2004) कर रहा है। योजना अत्यधिक रूप से खाद्य असुरक्षित परिवारों को उनके ग्रामों के भीतर स्थापित ग्राम अनाज बैंकों से खाद्य अनाजों को उधार लेने में समर्थ बनाती थी।

योजना प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय सहायता दो घटकों अर्थात् नकद घटक⁴ तथा खाद्य घटक के अंतर्गत प्रदान की गई थी। खाद्य घटक के अंतर्गत, प्रत्येक अनाज बैंक को औसतन 40 परिवारों के लिए एक क्विंटल खाद्य अनाज (चावल, गेहूं अथवा मोटा अनाज) प्रति परिवार का भण्डारण करना था, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा एक बार अनुदान के रूप में प्रदान किया जाना था। खाद्य अनाज की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) द्वारा संबंधित राज्यों को निःशुल्क आधार पर की जानी थी। इस उद्देश्य के लिए, मंत्रालय को अनाजों की

³ राज्यों की निरूत्साही प्रतिक्रिया के कारण मंत्रालय द्वारा योजना को समाप्त (जनवरी 2014) कर दिया गया था।

⁴ भार एवं माप, गोदामों, प्रशिक्षण, परिवहन आदि की लागत शामिल है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अनाज बैंकों की स्थापना तथा चलाए जाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाना था।

औसत वर्तमान आर्थिक लागत के आधार पर भुगतान करना था। भा.खा.नि. को आर्थिक लागत में भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण पश्चात आकस्मिक प्रभार जैसे सांविधिक प्रभार, मण्डी प्रभार, पैकिंग सामग्री की लागत आदि तथा आधिक्य वाले राज्यों से अभाव वाले राज्यों को खाद्य अनाजों को ले जाने की परिचालन लागत शामिल है।

लेखापरीक्षा द्वारा जांच ने उजागर किया कि मंत्रालय उस समय की खाद्य अनाजों की आर्थिक लागत, जिसका निर्धारण किया गया था, के आधार पर विभिन्न राज्यों में ग्राम अनाज बैंकों की स्थापना हेतु खाद्य अनाज सहायता (भा.खा.नि. को अग्रिम में देय) जारी कर रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जारी की गई राशि केवल एक प्रावधानिक आँकड़ा⁵ था तथा भा.खा.नि. के वार्षिक लेखाओं की समाप्ति तक निश्चितता से इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता था। इस तथ्य के बावजूद, मंत्रालय ने अंत में निर्धारित आर्थिक लागत के साथ किसी भी विचलन के मामले में, बाद में समायोजन का प्रावधान नहीं किया था। मंत्रालय द्वारा प्रकाशित खाद्य अनाज बुलेटिन (आर्थिक लागत के अंतिम आंकड़ों को शामिल करते हुए) के साथ भा.खा.नि. को निधियां जारी करने के संस्वीकृति आदेशों की तुलना ने प्रकट किया कि 11 अवसरों पर मंत्रालय द्वारा अपनाई गई दरें वास्तविक लागत, जिस पर अंत में पहुंचा गया, से अधिक थी जबकि दो अवसरों पर यह कम थी। यह 2006-07 से 2011-12 के दौरान ₹1.75 करोड़ के निवल अधिक निर्गम का कारण बना। ब्यौरे **अनुबंध-V** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, तथ्य कि मंत्रालय द्वारा अपनाई गई दरें अंतिम दरों से अधिक थी, मंत्रालय द्वारा अवास्तविक निर्धारण का सूचक है।

इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने भा.खा.नि. को अधिक निर्गम को सुनिश्चित किया तथा बताया कि भा.खा.नि. को आधिक्य राशि को वापस करने तथा जवाबदेही निर्धारित करने का अनुरोध किया था।

⁵ आर्थिक लागत की विभिन्न चरणों अर्थात् बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, प्रावधानिक चरण आदि में समीक्षा की जा रही थी।

मंत्रालय का उत्तर, यह स्वीकार किए बिना कि मंत्रालय लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक अधिक निर्गम के मामले से अवगत नहीं था, भा.खा.नि. पर उत्तरदायित्व डालने का प्रयास करता है। तथ्य है कि मंत्रालय भा.खा.नि. के साथ अंतिम लागत की तुलना में जारी आर्थिक लागत की राशि के समाधान हेतु एक प्रभावी मॉनीटरिंग प्रक्रिया स्थापित करने तथा उनके सामायिक समायोजन हेतु उपाय निकालने में विफल रहा जो संगठन के भीतर खराब आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है।

मंत्रालय ने बाद में बताया (फरवरी 2015) कि लेखापरीक्षा ने केवल उन मामलों को लिया था जिसमें खाद्य अनाजों की अंतिम आर्थिक लागत को अधिक निर्धारित किया गया था। तथापि, यदि अवधि के दौरान सभी मामलों को शामिल किया जाए तो इस हेतु मंत्रालय के प्रति ₹8.05 करोड़ की राशि बकाया थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के परिणाम अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित थे तथा आर्थिक लागत के अधिक निर्धारण के मामलों को शामिल किया गया था तथा निवल आधिक्य को दर्शाते थे। मंत्रालय का उत्तर सुनिश्चित करता है कि मंत्रालय द्वारा खाद्य अनाज की अंतिम आर्थिक लागत के आधार पर समाधान कार्य केवल लेखापरीक्षा द्वारा मामले को उठाए जाने के पश्चात ही किया गया था। मंत्रालय को नियमित रूप से समाधान करना चाहिए।

3.3 अस्वीकार्य घटक पर अनुदानों का उपयोग

‘राज्यों के भार एवं मापन अवसंरचना के सशक्तिकरण’ की योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा चुनी गई भूमि हेतु नई प्रयोगशाला इमारत के निर्माण या निर्मित इमारत को सीधे क्रय की अनुमति थी। राज्य सरकार ने उसे जारी की गई निधियों में से ₹ 1.48 करोड़ की कीमत की भूमि का क्रय अनियमित रूप से किया था और मंत्रालय उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संवीक्षा के माध्यम से पर्याप्त निरीक्षण कर पाने में विफल रहा।

उपभोक्ता मामला, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 2009-12 के दौरान राज्य/सं.शा.क्षे. के वैध माप पद्धति विभागों की अवसंरचना में संवर्धन हेतु कार्यान्वित की जाने वाली 'भार एवं मापन अवसंरचना सुदृढीकरण' योजना संस्वीकृत की थी (सितम्बर 2009)। योजना के अंतर्गत मंत्रालय को मानक उपकरण⁶ की आपूर्ति तथा प्रयोगशाला इमारतों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान प्रदान करना था।

योजना प्रावधानों के अनुसार, राज्यों/सं.शा.क्षे. के पास जैसी स्थिति हो उसके अनुसार या तो राज्य द्वारा चुनी गई और प्रदत्त भूमि या फिर निर्मित इमारत को सीधे क्रय के माध्यम से व्यावहारिक मानक प्रयोगशाला (व्या.मा.प.) एवं माध्यमिक मानक प्रयोगशाला (मा.मा.प्र.) के निर्माण हेतु सहायता अनुदान का उपयोग करने का विकल्प था। हालांकि, राज्यों को व्या.मा.प्र./मा.मा.प्र. हेतु कम से कम 90 वर्गमीटर की जगह की उपलब्धता सुनिश्चित करनी थी।

मंत्रालय ने 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान राज्य में विभिन्न स्टेशनों पर केलीब्रेशन टॉवर हेतु टैंक लॉरियों की जांच हेतु मा.मा.प्र., व्या.मा.प्र. के निर्माण हेतु विधिक माप पद्धति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को ₹2.70 करोड़ की कुल राशि संस्वीकृत की थी।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि उसके द्वारा प्राप्त अनुदानों में से भूमि के क्रय हेतु ₹1.48 करोड़ की राशि का व्यय किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस घटक को न तो योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवृत्त किया गया था और न ही मंत्रालय द्वारा जारी संस्वीकृति के अंतर्गत आवृत्त किया गया था। राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय, योजना प्रावधानों की सीमा से बाहर था और इसलिए अनियमित था। यह तथ्य कि राज्य सरकार द्वारा किए गए निधि उपयोग का मंत्रालय द्वारा उचित निरीक्षण करने में विफल रहना भी इसके मॉनीटरिंग तंत्र की कमी को दर्शाता है।

⁶ सभी प्रकार के भार, वितरण मापन, सर्वेक्षण श्रृंखला, रक्तचाप मापने वाले उपकरण, टैक्सी मीटर, सी.एन.जी. डिस्पेंसर, पेट्रोलियम उत्पादों हेतु वर्टिकल भण्डारण, तेल भण्डारण टैंक

लेखापरीक्षा द्वारा मामले को उठाये जाने (जून 2014) के पश्चात् मंत्रालय ने मामले को राज्य सरकार के समक्ष उठाया (जून 2014) बदले में राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2014) कि उसने उन स्थानों से भूमि का क्रय किया है जहाँ से मुफ्त भूमि उपलब्ध नहीं थी तथा निर्मित इमारत के क्रय में भूमि की लागत भी शामिल थी। अतः भूमि का क्रय मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया गया था।

राज्य सरकार का उत्तर योजना के प्रावधानों से मेल नहीं खाता था क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि राज्यों को व्या.मा.प्र./मा.मा.प्र. के संस्थापन हेतु भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करना था। अतः, राज्य सरकार ने अस्वीकार्य घटक हेतु निधियों को विपथित किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (सितम्बर 2014) पर मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार (दिसम्बर 2014) किया और उत्तर प्रदेश सरकार से भूमि के क्रय हेतु उसके द्वारा उपयोग में लाए गए ₹1.48 करोड़ के अनुदान की वापसी हेतु निवेदन किया।

3.4 प्रवाह मीटर किटों का गैर-उपयोग जो ₹1.47 करोड़ के निष्फल व्यय का कारण बना

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवाह मीटर किटों का प्रापण किया तथा इनकी 'भार एवं माप अवसंरचना का सुदृढीकरण' की योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आपूर्ति की। किटों की आपूर्ति उन राज्यों को की गई थीं जहां संकुचित प्राकृतिक गैस/तरल पेट्रोलियम गैस भरने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यह सात राज्यों में ₹1.47 करोड़ की कीमत की 19 किटों के गैर-उपयोग का कारण बना।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने XIवीं योजना अवधि (2007-12) में कार्यान्वित की जाने वाली 'राज्यों/सं.शा.क्षे. की भार एवं माप अवसंरचना का सुदृढीकरण' की योजना को स्वीकृत (सितम्बर 2009)

किया। योजना में राज्यों/सं.शा.क्षे. में सं.प्रा.गै./त.पै.गै. डिस्पेंसर स्टेशनों की जांच हेतु संकुचित प्राकृतिक गैस (सं.प्रा.गै.)/तरल पेट्रोलियम गैस (त.पै.गै.) पदार्थ प्रवाह मीटरों⁷ की 100 किटों की खरीद शामिल थी।

योजना प्रावधानों के अनुसार, मंत्रालय को महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (म.नि.आ.नि.) के माध्यम से सं.प्रा.गै./त.पै.गै. किटों का प्रापण करना था जिसकी निःशुल्क आपूर्ति विभिन्न राज्यों को की जानी थी। म.नि.आ.नि. ने मई 2010 में प्रापण हेतु निविदाएं जारी कीं तथा ₹7.76 करोड़ की लागत पर एक फर्म को कार्य सौंपा (जनवरी 2012)। निविदा की स्वीकृति (नि.स्वी.) के अनुसार, 20 राज्यों/सं.शा.क्षे. को 40 सं.प्रा.गै. किटों तथा 27 राज्यों/सं.शा.क्षे. को 60 त.पै.गै. किटों की जून 2012 तक आपूर्ति की जानी थी। सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. में अक्टूबर 2012 तक किटों की निःशुल्क आपूर्ति की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जब विचार-विमर्श, किटों के प्रापण का निर्णय लेने पर थे, वैधिक माप-पद्धति नियंत्रक, असम तथा अरुणाचल प्रदेश ने अप्रैल 2010 में सूचित किया कि राज्यों में कोई सं.प्रा.गै. सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं तथा इसलिए किसी भी सं.प्रा.गै. किट की आपूर्ति की जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के अनुरोध पर विचार किया तथा इसका नाम परेषिती सूची से निकाल दिया। तथापि, इसने असम को किटों की आपूर्ति की।

अभिलेखों की नमूना जांच ने आगे उजागर किया कि असम तथा अरुणाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के प्रकाश में समुपस्थित व्यवहार्यता मामलों से अवगत हो जाने के बावजूद भी मंत्रालय आगे बढ़ा तथा छः राज्यों,⁸ जहां सं.प्रा.गै./त.पै.गै. भरने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, को किटों (10 सं.प्रा.गै. तथा 7 त.पै.गै. किटों) की आपूर्ति की। लेखापरीक्षा ने बाद में पाया कि ओडिशा राज्य में दो त.पै.गै. किटों को तकनीकी स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण

⁷ प्रवाह मीटर को सं.प्रा.गै./त.पै.गै. डिस्पेंसिंग स्टेशनों का सत्यापन करने हेतु बैटरी के साथ एक पोर्टेबल कैरिंग के केंस में रखा जाता है।

⁸ असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु

उपयोग में नहीं लाया जा सका था (अक्टूबर 2012 में आपूर्ति की गई)। इन 19 मशीनों की 12/15 महीनों की गारंटी अवधि भी दिसम्बर 2014 तक इन्हें उपयोग में लाए बिना ही समाप्त हो गई थी।

इस प्रकार, सं.प्रा.गै./त.पै.गै. किटों के प्रत्याशित उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगाए बिना इनकी आपूर्ति करने का मंत्रालय का कार्य सात राज्यों में ₹1.47 करोड़ के परिणामी निष्फल व्यय (ब्यौरे अनुबंध-VI में) सहित 19 किटों के गैर-उपयोग का कारण बना।

इसे इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि संबंधित राज्य सरकारों को सं.प्रा.गै./त.पै.गै. डिस्पेंसर जांच किटों के उपयोग का विवरण प्रदान करने तथा इन किटों, जो उनके पास व्यर्थ पड़ी थीं, की आवश्यकता का पता लगाने को भी कहा था।

मंत्रालय ने आगे बताया (जनवरी 2015) कि कुछ राज्यों को इस प्रत्याशा में किटें प्रदान की गई थीं कि हरित ईंधन होने से यह दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होने वाला था तथा इसलिए अधिकांश राज्यों को सं.प्रा.गै./त.पै.गै. डिस्पेंसरों के सत्यापन हेतु पूर्व-अपेक्षित मानक उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए थे। उसने यह भी बताया कि वह सं.प्रा.गै. तथा त.पै.गै. की प्रत्येक छः⁹ किटों का अन्य मांगकर्ता राज्यों को विपणन पर विचार कर रहा था तथा कुछ राज्यों¹⁰ से किटों के गैर-उपयोग हेतु स्पष्टीकरण की मांग भी की गई थी।

उत्तर स्थापित करता है कि मंत्रालय ने पहले ही किटों के उपयोग की व्यवहार्यता का पता नहीं लगाया था, जो आखिरकार उनके गैर-उपयोग का कारण बना।

⁹ असम (2 सं.प्रा.गै. किटें) अरुणाचल प्रदेश (2 त.पै.गै.किटें), नागालैण्ड (2 त.पै.गै. किटें) हिमाचल प्रदेश (2 सं.प्रा.गै. एवं 2 त.पै.गै.) किटें), तमिलनाडु (2 सं.प्रा.गै. किटें)

¹⁰ केरल, ओडिशा, नागालैण्ड तथा असम